राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 308/2024

ममता चौहान

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
4. प्रधानाध्यापक, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी, जिला, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.02.2024
आदेश की दिनांक : 07.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मचन्द जैन, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 06.02.2024 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की है एवं यह भी प्रार्थना की है कि प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाए कि अपीलार्थी को 60 दिवस के असाधारण अवकाश एवं 120 दिवस के चाइल्ड केयर लिव की स्वीकृति प्रदान करें।
2. उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने पूर्व में इस अधिकरण के समक्ष एक अपील 3049/2023 ममता चौहान बनाम राजस्थान राज्य प्रस्तुत की थी, जिसमें अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा था कि प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाए कि अपीलार्थी को 120 दिवस के चाइल्ड केयर लिव नियमानुसार स्वीकृत किये जाए। उक्त अपील का निर्णय इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 01.11.2023 के द्वारा किया गया, जिसमें इस अधिकरण ने निम्न प्रकार से आदेश पारित किये हैं :–

"प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (गृह विज्ञान) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी जिला जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने शाला दर्पण पर दिनांक 09.09.2023 को 180 दिनों के लिए चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इस आधार पर स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि अपीलार्थी के सेवा पुस्तिका एवं निजी पत्रावली पूर्व पदस्थापन स्थान से वर्तमान पदस्थापन कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई। सेवानियम के प्रावधानों के अनुसार एक महिला कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलार्थी ने 180 दिवस हेतु अवकाश आवेदित किया, जो नियमानुसार नहीं है। अतः अपील में अंकित तथ्यों/कारणों के दृष्टिगत अपीलार्थी को संशोधित आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करने का परामर्श किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया जाता है कि संशोधित आवेदन पत्र प्राप्त होने, पर नियमानुसार जांच कर अपीलार्थी का सेवाभिलेख को मंगाया जाकर आवेदन के अधिकतम एक माह में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

उक्तानुसार अपील मय लम्बित प्रार्थना पत्र निस्तारित किए जाते है।"

3. अतः अपीलार्थी की पूर्व की अपील में अपीलार्थी को संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देश दिये थे और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधित आवेदन पत्र की जांच कर एक माह में निस्तारण करने के निर्देश प्रत्यर्थी विभाग को दिये गये। अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के उक्त आदेश के पश्चात चाइल्ड केयर लिव हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.11.2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने दिनांक 11.12.2023 से 08.04.2024 तक की अवधि के लिये 120 दिवस के चाइल्ड केयर लिव की स्वीकृति की प्रार्थना की है, जिसमें यह कारण अंकित किया गया है कि अपीलार्थी के पुत्र की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा है। इस कारण से उसकी देखभाल के लिये चाइल्ड केयर लिव की आवश्यकता है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात आदेश दिनांक 06.02.2024 पारित किया गया, जिसमें यह माना गया कि आगामी भविष्य में माह मार्च, 2024 एवं अप्रैल, 2024 में बोर्ड परीक्षा एवं स्थानीय परीक्षाओं का संचालन होना है। ऐसी स्थिति में विभागीय लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम दिये जाने हैं। परीक्षा के महत्वपूर्ण समय में शिक्षक का अवकाश स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। अतः हम पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपने विवेक से प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते

हुए आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा चाइल्ड केयर लिव के आवेदन को अस्वीकार किया है।

4. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रशासनिक कारणों से लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। इसके अलावा यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने जिस अवधि के लिये चाइल्ड केयर लिव की मांग की है, वह समय व्यतीत हो चुका है। अतः अब इस अपील में प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाने की प्रार्थना सारहीन हो चुकी है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)